न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

(39)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1636-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-02-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 616/2014-15/अपील ।

कमलेश गुप्ता आ0 श्री लालाराम गुप्ता
निवासी ग्राम नोनिया बरेली तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

परसराम आत्मज श्री भावसिंह किरार
निवासी ग्राम नोनिया बरेली तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक-आवेदक
श्री राजेश गिरि, अभिभाषक-अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/18 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-02-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नोनिया बरेली तहसील उदयपुरा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 42/1 रकबा 5.36 एकड़ राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1985-86 तक अनावेदक के भूमिस्वामी हक में दर्ज थी । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 110, 190 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-46/1985-86 दर्ज किया जाकर कार्यवाही करते हुये दिनांक 10-5-1986 को आदेश पारित कर आवेदक का नामान्तरण किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समय बाह्य अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25-4-2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील समय सीमा में मान्य कर प्रकरण में गुणदोष पर कार्यवाही करने के लिये नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10-2-2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक ने 26 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की जिसे समय सीमा में मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक ने संहिता की धारा 110 एवं 190 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि विवादित भूमि पर आवेदक का ही कब्जा है इस कारण मेरा नामान्तरण किया जाये तहसील न्यायालय ने अनावेदक को नोटिस जारी कर तलब किया तब अनावेदक ने भी बताया कि मुझको आपत्ति नहीं है नामान्तरण कर दिया जाये । उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत् रखते हुये दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किया है क्योंकि अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि अनावेदक द्वारा आवेदक को वादग्रस्त भूमि पट्टे पर दी थी । पट्टा प्रदान करने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है । अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि आवेदक को कब कब्जा दिया गया था । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के

समक्ष ऐसा कोई खसरा अथवा वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 10-5-86 के पूर्व उसका आधिपत्य था । उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक के नाम धारित भूमि को उसके पुत्र द्वारा विक्रय किया गया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि पिता के नाम धारित भूमि को विक्रय करने का अधिकार पुत्र को नहीं है इसलिये आवेदक इस आधार पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आवेदक चाहे तो विक्रय पत्र के आधार पर व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकता है । इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की है जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अत: इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-02-2016 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-02-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर